

❖ घरेलू बागवानी की आदर्शयोजना (गार्डन किचन)

क्र	योजना	विवरण
1	उद्देश्य	❖ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लघु, सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को ताजी, पोष्टिक स जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वयं की बाडी में स जी उत्पादित करने के लिये प्रो साहित करना, अति शेष को बेच कर आय बढाना, घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना, बेकार हो जाने वाले पानी का उपयोग करना।
2	कार्यक्षेत्र	❖ प्रदेश के संपूर्ण जिले।
3	चयनित फसलें	❖ भिण्डी, बरबटी, गिलकी, करेला, कद्दू, लौकी एवं पालक आदि।
4	स्वरूप	❖ प्रमाणित सब्जी बीजों के पैकेट राशि रूपये 75/- कीमत के निःशुल्क वितरित किया जावेगा जिसमें रूपये 67.00 का बीज एवं रूपये 8/- अन्य व्यय को शामिल कर प्रदाय किया जाता है।
5	कृषक की पात्रता	❖ सभी वर्ग के कृषक।
6	अनुदान की पात्रता	❖ ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लघु, सीमान्त किसानों तथा खेतीहर मजदूर परिवारों की सर्वेक्षित सूची में नाम शामिल होना आवश्यक है। ❖ हितग्राही के आवास के आसपास बाडी की भूमि होना आवश्यक है।
7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	❖ बी बार एक में वर्ष चयन का हितग्राही .एल.पी.10 मई तक किया जायेगा। ❖ हितग्राही की सूची लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तौर कर अनुमोदित करायी जायेगी। बाद के नाम प्रतीक्षा सूची में रहेंगे।
8	संपर्क	❖ जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि/.ग्रा.उ.वि.अधि.
9	ऑनलाईन आवेदन	❖ पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
10	आवेदन हेतु दस्तावेज	❖ फोटो, आधार, खसरा नंबर/B1/वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र